राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

फार्म की दर रू0 100.00+व्यपार कर=रू0 114.00
क्रमांक :

निविदा प्रपत्र

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की ओर से वर्ष 2015–16 (दिनांक 01–04–2015 से 31–03–2016 तक) के लिए राज्यपाल सचिवालय में संलग्न सूची के अनुसार लेखन/कम्प्युटर सामग्री के लिए एतद्द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है:–

(अ) मुहर बन्द निविदा विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय,उ0प्र0 द्वारा दिनांक 23.03.2015 को 04.00 बजे अपरान्ह तक प्राप्त की जायेगी तथा निविदा समिति द्वारा दिनांक 23.03.2015 को 04.30 बजे अपरान्ह खोली जायेगी।

(ब) केवल निविदा दाता टेन्डर खोलने के समय उपस्थित रह सकता है।

(स) निविदा दाताओं को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी :–

1– **आयकर एवं वाणिज्य कर में पंजीकरण होना आवश्यक है जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।**

2– आपूर्ति हेतु मांगी जाने वाली वस्तु 24 घण्टे उपलब्ध होनी चाहिए। सामग्री की गुणवत्ता मौलिक होनी चाहिए।

3– दरे प्रेषित करते समय उसमें वैट, बिक्रीकर आदि अन्य करों का अलग से उल्लेख करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह समझा जायेगा कि दरे सभी करों सहित हैं।

4– टेण्डर फार्म के साथ संलग्न सूची में अंकित सामग्री नमूने के अनुरूप/समय से न पाये जाने पर वांछित सामग्री बाजार से क्रय कर ली जाएगी व इसका सम्पूर्ण व्यय आपकी जमानत राशि से काट लिया जाएगा।

5– **अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र भी सलंग्न करना होगा।**

6– **निविदा के साथ अनु सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश के पक्ष में Earnest Money के रूप में अनुसूचित बैंक का रू0 1000.00 का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा ।**

7– सफल निविदा दाता को अनुबन्ध के समय जमानत राशि रू0 5000.00(रूपया पांच हजार) मात्र का किसी भी अनुसूचित बैंक का एफ0डी0आर0 या डिमान्ड ड्राफ्ट प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 के पक्ष में बन्धक करके जमा करना होगा ।

8– दरें स्वीकृत हो जाने पर सम्बन्धित फर्म को रूपया 100.00 (रू0 एक सौ) मात्र के स्टैम्प पेपर पर दर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।

9– निविदा देने वाले को स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करना होगा कि उसका कोई निकटतम सम्बन्धी राजभवन या राज्यपाल सचिवालय की सेवा में नही है, यदि है तो उसका नाम व पदनाम अंकित करना होगा।

10– किसी भी प्रकार की सूचना असत्य पाये जाने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

11– निविदा के सम्बन्ध में पक्ष समर्थन कराने का कड़ा निषेध है और ऐसे निविदा दाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

12– निविदा मांगे जाने की सूचना निविदा स्वीकार कर लिए जाने पर अनुबन्ध का एक भाग हो जायेगी ।

13– निविदा में अंकित दरें राजभवन/राज्यपाल सचिवालय में माल की डिलीवरी तक की होगी। अलग से कोई पैंकिंग/भाड़ा देय न होगा।

14– राजभवन की आवश्यकता के अनुसार सूची के अलावा अन्य सामग्री न्यूनतम दर (बाजार दर) पर उच्च कोटि की उपलब्ध कराना भी आवश्यक होगा।

15– स्वीकृत दरें वर्ष 2015–16 हेतु लागू होगी परन्तु आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी द्वारा इन्हीं शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन टेण्डर की अवधि आगामी एक वर्ष तक के लिए बढ़ायी भी जा सकती है।

(राम प्रसाद)
अनु सचिव,
राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0।

उपरोक्त से सहमत है/हूँ।